



कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

उत्तम विवेचना की वृत्त मामला के अंतर्गत  
 डापी के पिता मामला के उत्तरवाही नं. 1 वृत्तवाही  
 था। डापी के पिता वृत्त मामला के अन्तर्गत नैतिक  
 तामिल नहीं करना था तथा बिना फुलवर्क का अवकाश  
 दिए निर्णय पारित किया गया। डापी के पिता मामला  
 के नाम कोई अन्तर्गत नहीं होकर बाद तामिल पत्रावली  
 रिपोर्ट पर नहीं है तथा एकपक्षीय नोटिस जारी किया  
 गया। अतः डापी का उत्तरवाही पत्र नैतिक का उत्तरवाही  
 निर्णय व डिक्री दिनांक 13-5-2013 एवं अन्तिम डिक्री  
 व निर्णय दिनांक 17-9-2013 को अन्तर्गत का डापी के  
 फुलवर्क का अवकाश दिया जाने। बहस के दौरान  
 उत्तरवाही वकील ने अपने पत्रावली में अन्तिम  
 पत्रावली के दोहराया तथा कथन किया कि सुनवाई 2012  
 में उत्तरवाही नं. 1 मामला ने अन्तिम निर्णय दिनांक  
 13-5-13 के अन्तिम ही हो मामला की वृत्त वाद  
 केवल एक पत्रावली अन्तिम कर रहा है। रिपोर्ट बदल  
 गया है। अतः डापी का उत्तरवाही पत्र (वारीज फरमाया  
 जाने) पत्रावली का एवं पत्रावली के अन्तिम पत्रावली  
 का अन्तिम कर दिया गया एवं बहस पर मन्त किया गया।  
 सुनवाई 12 की अन्तिम दिनांक 13-5-13 के अन्तिम  
 पत्रावली की अन्तिम के अन्तिम डिक्री व निर्णय पारित  
 करना अन्तिम है। उत्तरवाही नं. 1 मामला के विषय एक-  
 पक्षीय उत्तरवाही अन्तिम नहीं हुई है। अन्तिम में  
 अन्तिम कोर्ट के विषय कोई निर्णय पारित नहीं किया  
 गया है। मामला ने अन्तिम निर्णय व डिक्री को अन्तिम  
 नहीं है। अन्तिम विवेचना के डापी का उत्तरवाही पत्र  
 नहीं होने के वारीज किया जाना अन्तिम एवं अन्तिम  
 उत्तरवाही होना है।

नोटिस

डापी का उत्तरवाही पत्र अन्तिम अन्तिम अन्तिम 13 वारा  
 ISICPC तामिल नहीं होने के वारीज किया जाता है।  
 पत्रावली फेरल सुनवाई होकर अन्तिम के अन्तिम है तथा  
 तामिल पत्रावली है। 29/3/22